

जयराम रमेश  
JAIRAM RAMESH



ग्रामीण विकास मंत्री  
भारत सरकार  
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114  
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT  
GOVERNMENT OF INDIA  
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

अ.शा. पत्र सं. जे- 11060/4/2/11-एमजीएनआरईजीए/बीकेएस(भाग)

दिनांक: 25 अगस्त, 2011

प्रिय मायावती-

ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य भार ग्रहण करने के बाद मैं राज्यों में एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन की समीक्षा करते समय यह बात मेरे ध्यान में लाई गई कि उसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं की अनेक शिकायतें हैं। मैं कुछ उन शिकायतों का उल्लेख कर रहा हूँ जो गंभीर स्वरूप की हैं और उसके लिए आपके तत्काल ध्यान एवं हस्तक्षेप देने की आवश्यकता है:-

- दिनांक 18-19 मई, 2011 को मेरे सहयोगी श्री प्रदीप जैन के दौरे के दौरान वाराणसी जिले में बड़ागांव ब्लॉक के गनगनकल गांव में जॉब कार्ड धारक को भुगतान में विलम्ब और जॉब कार्ड में प्रविष्टियों में विसंगतियां पाई गई। इसके अतिरिक्त, जॉब कार्ड की मांग किए जाने के बावजूद आवेदक को जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।
- सोनभद्र जिले में भी निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:
  - स्थलों के अनुचित चयन, खराब डिजाइन, उपयोग की गई सामग्री की खराब गुणवत्ता और खराब कार्यकुशलता की वजह से अधिकांश रोक बांधों के किनारों में रिसाव एवं क्षतिग्रस्त पाया गया।
  - समुदाय द्वारा उपयोग के लिए स्वीकृत ग्रामीण टैंक निजी जमीन पर बनया गया है।
- इलाहाबाद जिले के उरवा ब्लॉक के केशवपट्टी गांव में 'मॉडल तालाब' से संबंधित अधूरा कार्य : मंत्रालय से बार-बार पत्राचार के बावजूद कार्य को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिससे निरर्थक व्यय हुआ है।
- ऐसा काके मऊ हरदोई के पंचायत लेखा में अनियमितताएं: मेरे पूर्व सहयोगी ने दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को एक पत्र लिखा था, लेकिन राज्य सरकार (ग्रामीण विकास मंत्री) के दिनांक 10.05.2011 के आश्वासन के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अधिकारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
- बलरामपुर, महोबा, गोण्डा और कानपुर देहात जिलों में एमजीएनआरईजी के अंतर्गत टेंट, खिलौन, शिकायत पुस्तिकाओं, केलेण्डर, डायरी आदि की खरीद में अनियमितताएं।

आपसे अनुरोध है कि आप इन मामलों की जांच करवाएं और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। मुझे आशा है कि योजना का कार्यान्वयन सही तरह से ओर एमजीएनआरईजीए अधिनियम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

सादर,

आपका,

(जयराम रमेश)

सुश्री मायावती,  
मुख्य मंत्री,  
उत्तर प्रदेश सरकार,  
लखनऊ।